



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)



पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>

दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859

No: 39 / SEIAA/2026

Date:

27/04/2026

कार्यालयीन ज्ञापन

विषय:- छ: माही अनुपालन प्रतिवेदन (Half Yearly Compliance Report) प्रस्तुत करने बावत्।

- संदर्भ:- 1. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 26 नवम्बर 2018 तथा कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 4 अगस्त 2021, दिनांक 14 जून 2022 एवं दिनांक 14 जून 2024
2. राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, मप्र (MP-SEIAA) का कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 30 मई 2019, दिनांक 11 अगस्त 2021 एवं दिनांक 22 जुलाई 2022

संदर्भित अधिसूचना एवं कार्यालयीन ज्ञापनों के माध्यम से MP-SEIAA द्वारा जारी किए गए पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तों का छ: माही अनुपालन प्रतिवेदन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के परिवेश पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रायः यह देखा जा रहा है कि परियोजना प्रस्तावकों द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन हार्ड कापी में अथवा ईमेल के माध्यम से प्राधिकरण में भेजा जा रहा है। यह भारत सरकार तथा MP-SEIAA के निर्देशों की अवहेलना है।

एतद द्वारा सभी परियोजना प्रस्तावकों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि MP-SEIAA द्वारा जारी किए गए पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तों का छ: माही अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परिवेश पोर्टल पर ही अपलोड किया जाना सुनिश्चित किया जाए। प्राधिकरण में ईमेल अथवा हार्ड कापी में प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे तथा इन्हे कार्यालयीन रिकार्ड में नहीं रखा जाएगा।

(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव

24.4.26

पृ.क्र. 40

/SEIAA/2026

दिनांक: 27/04/2026

प्रतिलिपि:

1. संयुक्त सचिव, (IA Division) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली
2. अपर मुख्य सचिव, मप्र शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल
3. प्रमुख सचिव, मप्र शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल
4. अध्यक्ष, SEIAA एवं SEAC, भोपाल
5. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, लिंक रोड नं. 3, रविशंकर नगर, भोपाल
6. सदस्य सचिव, SEAC एवं मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल
7. कलेक्टर, जिला (समस्त) मप्र की ओर जिला स्तर से यथोचित निर्देश जारी करने हेतु।
8. प्रभारी अधिकारी, राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल
9. पर्यावरण स्वीकृति धारक समस्त परियोजना प्रस्तावक की ओर पालनार्थ।
10. सर्व संबंधित की ओर सूचनार्थ।


सदस्य सचिव

24.4.26